राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 5(294)/निपेवि/नियम/2017/ 1771-18404 दिनांक 01-06-2018

समस्त कोषाधिकारी,————————————,

समस्त बैंकर्स————————————————,

विषयः– **बैंको के द्वारा किये जा रहे केवाईसी में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के नाम में अन्तर के कारण संशोधन बाबत ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ बैंको के द्वारा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर्स के बैंक खातो का केवाईसी आधार कार्ड से करते समय पेंशनर के हिन्दी व अंग्रेजी नाम के स्पेलिंग में अन्तर होने, पारिवारिक पेंशनर के प्रथम नाम समान होने के बावजूद मिडिल नेम में यथा बाई/देवी/कुमारी आदि अंकित होने व अंतिम नेम में सर नेम की स्पेलिंग आदि में अन्तर होने पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का भुगतान रोक/बन्द कर दिया जाता है तथा उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे पेंशन अधिकृति में नाम आधार कार्ड या खाते के अनुसार करवाकर प्रस्तुत करें । इससे पेंशनर को काफी परेशानी होती है तथा उसे पेंशन अधिकृतियों में नाम परिवर्तन करवाने हेतु काफी श्रम, समय व राशि का व्यय करना पड़ता है । साथ ही पेंशन विभाग व संबंधित पेंशनर के पैत्रृक विभाग को भी काफी समय व धनराशि का व्यय करना पड़ता है ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की अध्यक्षता में दिनांक 3 जनवरी, 2018 को आयोजित बैठक में बिन्दू सं 11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त बैंकर्स को यह सलाह दी गयी थी कि वे पेंशनर्स के केवाईसी करते समय बैंक के खातों में अंकित नाम व पेंशन अधिकृति में अंकित नाम में अंतर होने पर बैंकों के द्वारा पीपीओ/एफपीपीओ के अनुसार आधार कार्ड में नाम संशोधन कराने की सलाह देवें जिससे पेंशनर को अनावश्यक रूप से लम्बी प्रकिया से न गुजरना पडे ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि **पेंशनर्स के केवाईसी करते समय बैंक के खातों में अंकित नाम व पेंशन अधिकृति में अंकित नाम में अंतर होने पर बैंकों के द्वारा संबंधित पेंशनर्स को आवश्यकता होने पर आधार कार्ड में पीपीओ/एफपीपीओ के अनुसार संशोधन कराने की सलाह देवें** । जिससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके व समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हों ।

भवदीय,

(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

C:\Users\HCL\Desktop\chetan personnel\IFHRMS letter (3).docx

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय,प्रशासन
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय—————————————
3. विशेषाधिकारी, पेंशन कार्यालय हाजा
4. समस्त सहायक निदेशक/उप निदेशक, कार्यालय हाजा
5. समस्त पी0आर0—————————————
6. श्री पी0के0सिह, वरिष्ठ तकनिकी निदेशक, एन.आई.सी. ।
7. ए0सी0पी0 एवं उप निदेशक, कम्प्यूटर को भिजवाकर लेख है कि समस्त को ई–मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करे व विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।

निदेशक

कार्यवाही विवरण